(135)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल महोदय ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रं .... निग-916-II/सन् 2015-16

हरलाल तनय पिरूआ अहिरवार आयु 70 वर्ष

नि0 गुरैया तह0 व जिला छतरपुर म.प्र. -------------- निगरानीकर्ता

बनाम

शासन म.प्र. -------------- गैरनिगरानीकर्ता

श्री रजनी अधिवक्ता ... द्वारा आज दि. 16/3/16 को प्रस्तुत

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. निगरानी विरूद्ध अपर आयुक्त महोदय सागर के प्रकरण कं. 772/अ–6–अ/2014–15 मे पारित आदेश दिनांक 30.10.2015

महोदय,

निगरानीकर्ता की ओर से निम्न विनय प्रस्तुत है –

- यह कि भू आराजी नं. 825/10, 825/11 रकवा क्रमशः 0.833 है. 0405 है. कुल किता –2 कुल रकवा 1.228 है0 स्थित मौजा गुरैया तह0 व जिला छतरपुर म.प्र. की भूमि निगरानीकर्ता की पैत्रिक भूमि है **जो विंध्यप्रदेश अधिनियम के प्रवृत्त रहने के दौरान अर्थात् संवत् 2009 से वर्तमान भू0–राजस्व संहिता 1959 के लागू होने के पश्चात् सवंत 2023 तक उसके पिता स्व. पिरूआ तनय मदुआ चमार के नाम भू स्वामी स्वत्व पर दर्ज रही है** बाद मे बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के तत्कालीन पटवारी द्वारा दुर्भावनावश वार्षिक खसरा रोस्टर करते समय अपीलार्थी के पिता स्व.खिरूआ का नाम काटकर सीधे म0प्र0शासन दर्ज कर दिया गया ।

यह कि निगरानीकर्ता के पिता अपने जीवनकाल में उक्त भूमियों पर कृषि कार्य करते रहे तथा आवेदक भी उनकी मृत्यु के पश्चात् वर्तमान तक काबिज होकर कृषि कार्य करता चला आ रहा है निगरानीकर्ता और उसका परिवार अनपढ़ होने की वजह से उक्त भूमि के म0प्र0शासन दर्ज हो जाने की जानकारी नहीं रही तथा न ही कभी भी शासन द्वारा उसको अतिक्रमण के संबंध मे नोटिस आदि दिया गया जिससे कि उसको जानकारी हो पाती । किन्तु वर्ष 2011 मे वार्षिक निरीक्षण के दौरान हल्का पटवारी द्वारा उक्त तथ्य की जानकारी होने पर उसके द्वारा अविलम्ब अभिलेख का अवलोकन करने पर उक्त तथ्य की जानकारी हुई तब उसके द्वारा तहसीलदार महोदय छतरपुर के न्यायालय मे वास्ते अभिलेख सुधार प्रकरण कं. 3/अ–6–अ/11–12 प्रस्तुत किया जिसको तहसीलदार द्वारा अन्तर्गत धारा 115–116 म0प्र0भू0रा0संहिता के तहत् प्रस्तुत किया जिसको तहसीलदार महोदय छतरपुर द्वारा तकनीकी आधार पर आवेदन अवधि बाहर मानते हुये निरस्त कर दिया गया।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 916–दो/16 जिला – छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16.3.16	निगरानीकर्ता की ओर से अधिवक्ता एवं शासन की ओर से पेनल अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष के अधिवक्ता तर्क सुने। निगरानीकर्ता द्वारा धारा–5 बिलंब अधिनियम के आवेदनपत्र में उठाये गये तथ्यों पर विलंब मांफ किये जाने का निवेदन किया गया। निगरानीकर्ता का तर्क है कि आराजी खसरा नं0 825/10, 825/11 रकवा कमश 0.833 है0 0.405 है0 कुल किता दो कुल रकवा 1.228 है0 भूमि स्थित ग्राम गुरैया तहसील व जिला छतरपुर की भूमि निगरानीकर्ता की पैत्रिक भूमि है जो पिता स्व0 फिरूआ तनय मदुआ चमार के नाम संवत 2023 तक एवं 1942 से 1955 तक राजस्व रिकार्ड में भूमि स्वामी के रूप में खसरा के कॉलम न0 3 में दर्ज रही, बाद में बिना सक्षम अधिकारी के आदेशों के तत्कालीन पटवारी द्वारा दुर्भावना वश वार्षिक खसरा रोस्टर करते समय आवेदक के पिता स्व0 फिरूआ का नाम छोड़ दिया गया पिता के समय से आज दिनांक तक निगरानीकर्ता उक्त भूमि पर काबिज होकर कृषि करता चला आ रहा है। 2– निगरानीकर्ता का यह भी तर्क है कि उसके पिता स्वर्गीय फिरूआ अनपढ़ था और आवेदक भी पढ़ा लिखा नहीं है जिससे जानकारी नहीं हो सकी । पटवारी द्वारा वर्ष 2011 वार्षिक निरीक्षण के दौरान जानकारी हुई। तब मैने तहसील छतरपुर के न्यायालय में अधिवक्ता के माध्यम से प्र0 क0 3/अ–6 अ/2011–12 रिकार्ड सुधार हेतु प्रस्तुत किया जिसे आदेश दिनांक 30.4.12 को समय बाह्य मानकर खारिज किया गया । उक्त आदेश की अपील अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के समक्ष प्र0क0 157/अपील/अ–6अ/2011–12 प्रस्तुत की जो आदेश दिनांक 29.9.12 का निरस्त की गई। जिसके विरूद्ध	

द्वितीय अपील अपर आयुक्त सागर के न्यायालय में प्र0 क0 772/अ–6 अ/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 30.11.15 द्वारा अधीनस्थ आदेश स्थिर रखते हुये निरस्त की गई।

3– तीनों अधिनस्थ न्यायालयों द्वारा अवैधानिक प्रविष्टि जो वगैर किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के राजस्व रिकार्ड में पटवारी द्वारा द्वैषभावना से की गई उसे केवल समयावधि के आधार पर न्याय से वंचित किया गया है। जबकि विलम्ब के आधार पर स्वत्व समाप्त नहीं किया जा सकता है स्वत्व अजेय होता है।

4–उभयपक्षों के अधिवक्ताओं के तर्को पर विचार किया प्रस्तुत रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय के आदेशों का अवलोकन किया, आराजी ख0 न0 825/10 रकवा 0.833 एवं ख0 न0 825/11 रकवा 0.405 है0 स्थित भूमि गुरैया पर निगरानीकर्ता के पिता स्व0 फिरूआ तनय मदुआ चमार का नाम रिकार्ड पर संवत 2009 से 2023 तक वाहैसियत भूमिस्वामी के रूप में दर्ज है, जिसे बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के पटवारी द्वारा रोस्टर करते समय भूमि स्वामी का नाम हटाया गया है खसरे में किसी भी सक्षम अधिकारी के आदेश की टीप नहीं है। निगरानीकर्ता और उसका स्व0 पिता फिरूआ अनपढ़ है निगरानी मेमों पर भी अंगूठा लगा हुआ है ऐसी स्थिति में उसने विधि की तकनीकी जानकारी की अपेक्षा नहीं की जा सकती है।

5– अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विलम्ब से रिकार्ड सुधार की मांग किये जाने के आधार पर न्याय से वंचित किया गया है जबकि उक्त भूमि निगरानीकर्ता की पैत्रिक भूमि है विलंब के आधार पर स्वत्व समाप्त नहीं किया जा सकता है। तथा निर्विवाद रूप से निगरानीकर्ता के पिता स्वर्गीय पिरूआ को म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 158 के अंतर्गत भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त हो गये थे, जिसको समाप्त नहीं किया जा सकता।

6– उक्त भूमि को हालसाल की खसरा टीप के अनुसार नजूल अधिकारी छतरपुर द्वारा प्रकरण कमांक 04/अ–20–1/2011–12

आदेश दिनांक 103/नजूल/2012 दिनांक 10.5.12 के अनुसार निगरानीकर्ता के स्वत्व व अधिकार वैधानिक जांच किये वगैर वाह्य नजूल घोषित की गई है जो अवैधानिक है।

अतः प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर तहसीलदार छतरपुर के आदेश दिनांक 30.4.12 एवं अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के आदेश दिनांक 29.9.12 एवं अपर आयुक्त सागर के आदेश दिनांक 30.10.15 निरस्त किये जाते है तथा भूमि आराजी नंबर 825/10 एवं 825/11 कुल रकवा 1.228 है0 स्थित मौजा गुरैया की भूमि को पूर्व भूमि स्वामी मृतक फिरूआ तनय मदुआ चमार के एक मात्र वारिस निगरानीकर्ता हरलाल पिता स्व0 फिरूआ के नाम राजस्व अभिलेख में भूमिस्वामी के रूप में दर्ज कराया जाकर पटवारी एवं कम्प्यूटर रिकार्ड को एकमाह के अन्दर दुरूस्त कराये जाने का आदेश दिया जाता है।

सदस्य